

**प्रेस विज्ञप्ति**  
**Press Release**

**मेसर्स पॉलिसीबाजार वेब एग्रीगेटर प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में "मेसर्स पॉलिसीबाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड" के नाम से प्रख्यात) के मामले में आदेश**

**Order in the matter of M/s Policybazaar Web Aggregator Pvt. Ltd. (Now known as "M/s Policybazaar Insurance Brokers Pvt. Ltd.")**

आईआरडीएआई ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेसर्स पॉलिसीबाजार वेब एग्रीगेटर प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में "मेसर्स पॉलिसीबाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड" के नाम से प्रख्यात) पर बीमा अधिनियम, 1938 और उसके अधीन स्थापित विभिन्न नियमों और विनियमों के उल्लंघनों के लिए निदेश, परामर्श और चेतावनी के साथ पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

IRDAI in exercise of the powers under Section 102 of the Insurance Act, 1938, has imposed a penalty of Rs. Five Crore on M/s Policybazaar Web Aggregator Pvt. Ltd. (Now known as "M/s Policybazaar Insurance Brokers Pvt. Ltd.") along with Direction, Advisory and Caution for various violations established under Insurance Act, 1938 and Rules and Regulations made thereunder.

स्थान / Place: हैदराबाद / Hyderabad

दिनांक / Date: 04 अगस्त / 4th August, 2025